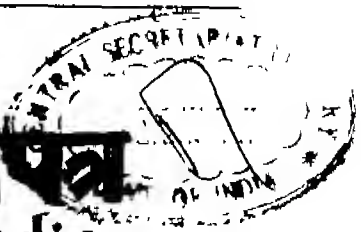
रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 15, 1977/आश्विन 23, 1899

No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1977/ASVINA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th October 1977

G S R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts ball bearings (with mild steel races) falling under Item No 49 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees five lakhs cleared for home consumption, on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories in which an hydraulic grinding machine is not installed, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) where a factory producing such bearings is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of such bearings so cleared in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees five lakhs;

(ii) in the case of such bearings the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees five lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding rupees five lakhs.

(iii) each such bearing and the package thereof shall bear on them the words "MADE WITH MILD STEEL RACES" embossed or, as the case may be, printed:

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 15th day of October, 1977, and ending with the 31st day of March, 1978, such bearings upto a value not exceeding rupees two lakhs and twenty five thousand.

[No. 299/77-C.E.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1977

सा. का. नि. 642 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 49 के अन्तर्गत सम्मिलित, पांच लाख रूपए से अधिक मूल्य के बॅयरिंगों (मृदु इस्पात रेसों सहित) को, जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् किसी ऐसे एक या अधिक कारखाने से जिसमें हाइड्रोलिक ग्राइंडिंग मशीन नहीं लगी हुई हो, देशी उपभोग के लिए की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह कि—

(i) जहां ऐसे बॅयरिंगों का उत्पादन करने वाला कारखाना विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा किसी वित्तीय वर्ष की विभिन्न अवधियों में चलाया जाता है, वहां किसी ऐसे वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किए गए ऐसे बॅयरिंगों का मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगा,

(ii) ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार से निकासी किए गए उन रोलन बॅयरिंगों की दशा में, जिनका मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक हो, यह छूट पांच लाख रुपए से अनधिक मूल्य तक की उनकी केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी,

(iii) ऐसे प्रत्येक बॅयरिंगों और उनके पैकजों पर "मृदु इस्पात रेसों से निर्मित" शब्द अंकित किए जाएंगे या छापे जाएंगे :

परन्तु यह और कि 15 अक्तूबर 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी विनिर्माता को दो लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक मूल्य तक के ऐसे बॅयरिंगों की देशी उपभोग के लिए निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी ।

[सं. 299/77-के.उ.शु.]

G.S.R. 643(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 104/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, namely:—

In the said notification, for the words "exempts rolling bearings", the words and brackets "exempts rolling bearings (other than ball bearings with mild steel races)" shall be substituted.

[No. 300/77-C.E.]

L. C. MITTAL, Dy. Secy.

सा. का. नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 104/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है", अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "रोलन बॅयरिंगों" शब्दों के स्थान पर "रोलन बॅयरिंगों (मृदु इस्पात ग्रंसों से युक्त बॉल बॅयरिंगों से भिन्न)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[सं. 300/77-के.उ.शु.]

एल. सी मित्तल, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977